भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई-न्यूजलेटर

सितंबर 2024

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने दिनांक 7 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें फ्लैगशिप शिखर सम्मेलन इंडिया सैटकॉम 2024 को संबोधित किया।

परामर्श

(1) भादूविप्रा ने दिनांक 1 **अगस्त** 2024 **को "एफएम रेडियो चैनल की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक **19** मार्च **2024** के अपने संदर्भ के माध्यम से हिमाचल प्रदेश**,** उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के **18** शहरों/कस्बों में निजी एफएम रेडियो के विस्तार के लिए एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य पर भादूविप्रा की अनुशंसाएं मांगी गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने भादूविप्रा से बिलासपुर (छतीसगढ़)**,** राउरकेला (ओडिशा) और रुद्रपुर (उत्तराखंड) शहरों के लिए आरक्षित मूल्य की अनुशंसा करने का भी अनुरोध किया है।
इस संबंध में**,** एफएम चरण**-III** नीति के तहत एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्यों के निर्धारण पर हितधारकों की टिप्पणी/प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु दिनांक **1** अगस्त **2024** को 'एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया। उक्त परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से क्रमशः दिनांक **29** अगस्त **2024** तक लिखित टिप्पणियाँ और **12** सितंबर **2024** तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_01082024_0.pdf

(2) भादूविप्रा ने 9 अगस्त 2024 को "दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली ऑडिट मैनुअल के ऑडिट संबंधी प्रावधानों" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु दिनांक **9** अगस्त **2024** को "दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) विनियम**, 2017** और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली ऑडिट मैनुअल के ऑडिट संबंधी प्रावधानों" विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। टिप्पणियां तथा प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः **6** सितंबर **2024** और **20** सितंबर **2024** तक थीं। उक्त परामर्श पत्र का उद्देश्य अंतर्संयोजन विनियमन **2017 (**यथा संशोधित) में ऑडिट संबंधी प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों, ऑडिट मैनुअल में संशोधन**,** अंतर्संयोजन विनियमन **2017** और ऑडिट नियम पुस्तिका में अवसंरचना को साझा करने के लिए सक्षम प्रावधानों से निपटना है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_09082024_0.pdf

(3) भादूविप्रा ने दिनांक 28 अगस्त 2024 को "दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान

विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) की समीक्षा" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगने हेतु दिनांक **28** अगस्त **2024** को "दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियमन, **2018** (टीसीसीसीपीआर-**2018**) की समीक्षा" विषय पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। इस पर टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि दिनांक **25** सितंबर **2024** है और प्रति-टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि **9** अक्टूबर **2024** तक हैं। उक्त परामर्श पत्र का उद्देश्य विनियमनों को मजबूत करने के क्षेत्रों पर सुझाव प्राप्त करना है, जिसमें स्पैम कॉल के माध्यम से आम लोगों को परेशान करने वाले अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के विरुद्ध सख्त प्रावधान, बेहतर शिकायत निवारण तंत्र, अधिक प्रभावी यूसीसी पहचान प्रणाली, विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मजबूत वित्तीय निरुत्साहन और प्रेषकों और टेलीमार्केटर्स के लिए संशोधित विनियमन शामिल हैं। यह पत्र यूसीसी को हतोत्साहित करने के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए अलग-अलग टैरिफ की संभावना का भी पता लगाता है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_28082024_0.pdf

अनुशंसाएं

(1) **भादूविप्रा ने दिनांक 21 अगस्त 2024 को "टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम" विषय पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं।**

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 8 दिसंबर 2022 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की धारा 11(1)(क) के तहत 'टेरा हर्ट्ज रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन हेतु अप्रयुक्त या सीमित उपयोग वाले स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और लाइसेंस रहित उपयोग' पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करे।

इस संबंध में, भादूविप्रा ने दिनांक 27.09.2023 को टेरा हर्ट्ज़ रेंज में सीमित अवधि के लिए मांग सृजन हेतु अप्रयुक्त या सीमित उपयोग किए गए स्पेक्ट्रम बैंड के खुले और लाइसेंस-मुक्त उपयोग पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें हितधारकों की टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ मांगी गईं। इसके जवाब में, 17 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं, और दो हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। उक्त परामर्श पत्र पर दिनांक 08.03.2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से खुला मंच चर्चा (ओपन हाउस चर्चा) आयोजित की गई।

हितधारकों से प्राप्त संदर्भ और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "द टेराहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम" पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) सरकार को 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टीएचजेड रेंज में स्पेक्ट्रम के लिए एक नया प्रायोगिक प्राधिकार पेश करना चाहिए जिसे 'टेरा हर्ट्ज प्रायोगिक प्राधिकरण' (संक्षेप में, टीएचईए) कहा जाता है।

(ख) टीएचईए के लिए प्राधिकार ढांचे के मुख्य तत्व नीचे दिए गए हैं:

(I) उद्देश्य: टीएचईए का उद्देश्य 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ रेंज में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), इनडोर और आउटडोर परीक्षण, प्रौद्योगिकी परीक्षण, प्रयोग और निष्पादन को बढ़ावा देना होना चाहिए।

(ii) कार्यक्षेत्र: टीएचईए का दायरा 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ रेंज में अनुसंधान एवं विकास, इनडोर और आउटडोर परीक्षण, प्रौद्योगिकी परीक्षण, प्रयोग और निष्पादन करना होना चाहिए; और 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ रेंज में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रायोगिक उपकरणों को सीधे बिक्री के माध्यम से बाजार में उतारना होना चाहिए।

(iii) पात्रता की शर्त: कोई भी भारतीय संस्था (शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, संघ राज्य क्षेत्र, प्रौद्योगिकी पार्क, दूरसंचार सेवा प्रदाता, इनक्यूबेटर, मूल उपकरण निर्माता आदि) टीएचईए प्राप्त करने के लिए पात्र होनी चाहिए।

(iv) प्रायोगिक उपकरणों का विपणन: 95 गीगाहर्ट्ज़ से 3 टेराहर्ट्ज़ रेंज में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रायोगिक उपकरणों के विपणन को सीधे बिक्री के माध्यम से टीएचईए के तहत अनुमति दी जानी चाहिए।

(v) प्राधिकरण अवधि: टीएचईए की प्राधिकरण अवधि पांच वर्ष तक होनी चाहिए। प्राधिकरण को एक बार में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(vi) प्राधिकरण शुल्क: टीएचईए के लिए प्राधिकरण शुल्क पांच वर्ष तक की अवधि के लिए 1,000 रुपये होना चाहिए।

(ग) भारत में 116-123 गीगाहर्ट्ज, 174.8-182 गीगाहर्ट्ज, 185-190 गीगाहर्ट्ज, और 244-246 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में प्राधिकरण और असाइनमेंट-मुक्त संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित टेरा हर्ट्ज़ प्रायोगिक प्राधिकरण (टीएचईए) उद्यमियों और शिक्षाविदों को टेरा हर्ट्ज़ बैंड में नवोन्मेषी नई प्रौद्योगिकी और सेवाएँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। टीएचईए, प्रयोगकर्ताओं को टेरा हर्ट्ज बैंड में उत्पादों के निष्पादन का मूल्यांकन करने में मदद करेगा, जो अवधारणा, विकास और डिजाइन चरणों में होगा, जिससे टेरा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर निर्मित प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की तकनीकी व्यवहार्यता का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यान्वयन के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित नई प्रायोगिक प्राधिकरण व्यवस्था सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देगी।

निम्नलिखित लिंक या क्यूआर कोड के माध्यम से विस्तृत मुख्य अनुशंसाओं तक पहुंचा जा सकता है।

https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_21082024_0.pdf

विनियमन

भादूविप्रा ने दिनांक 02.08.2024 को संशोधित “एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक विनियम, 2024 (2024 का 06)” जारी किया।

भादूविप्रा ने दिनांक 02.08.2024 को संशोधित विनियम अर्थात - "एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक**,** विनियम, 2024 (06 से 2024)” जारी किए। ये विनियम एक्सेस सेवाओं (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं पर लागू होते हैं। ये विनियम दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।

खुला मंच चर्चा

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों की रूपरेखा विषय पर दिनांक 21.08.2024 को एक खुला मंच चर्चा (ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित किया गया।

भादूविप्रा ने "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकरणों के लिए रूपरेखा" विषय पर दिनांक 21 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की।

उक्त खुला मंच चर्चा (ओएचडी) के लिए गए कुछ वीडियो नीचे संलग्न हैं:

घटनाक्रम

भादूविप्रा और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) ने दिनांक 2 अगस्त 2024 को भादूविप्रा के आईटी सिस्टम अध्ययन, सॉफ्टवेयर विकास और रखरखाव गतिविधियों के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन भादूविप्रा को विभिन्न उपभोक्ता केंद्रित अनुप्रयोगों को उन्नयन करने और उन्हें अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने में मदद करेगा।

- भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने दिनांक 7 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें फ्लैगशिप शिखर सम्मेलन इंडिया सैटकॉम 2024 को संबोधित किया।

- भादूविप्रा क्षेत्रीय अधिकारियों का सम्मेलन दिनांक 08 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें भादूविप्रा मुख्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। आयोजित इस सम्मेलन में दूरसंचार और प्रसारण से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे सेवाओं की गुणवत्ता का ऑडिट (नेटवर्क निष्पादन, मीटरिंग और बिलिंग), स्पैम पर अंकुश लगाना, एक्सेस को बढ़ाना और उपभोक्ता आउटरीच/ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमों को समन्वित करना, एमएसओ और एलसीओ के निशापादन की निगरानी, टैरिफ और अन्य वित्तीय मुद्दे, क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाना आदि, पर चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र में भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने अधिकारियों को संबोधित किया।

- दिनांक 23 अगस्त 2024 को, श्री जूलियन गोर्मन, एशिया प्रशांत प्रमुख, जीएसएमए के नेतृत्व में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस (जीएसएमए) प्रतिनिधिमंडल ने भादूविप्रा का दौरा किया, जिसमें भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी, भादूविप्रा के सचिव श्री अतुल कुमार चौधरी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। सार्वजनिक नीति-जीएसएमए की प्रमुख सुश्री जेनेट व्हाईट ने भी इस बैठक में भाग लिया।

- श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दिनांक 28 अगस्त 2024 को ट्राई मुख्यालय में मेसर्स एरिक्सन द्वारा "एआई फ्रेमवर्क, गवर्नेंस और एप्लीकेशन" विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

विविध

- भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का लेखापरीक्षा करने हेतु दिनांक 02.08.2024 और 12.08.2024 को सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों की अद्यतन सूची जारी की। अगस्त 2024 के महीने के दौरान निष्पादित कार्य निम्न है
  - (क) मेसर्स सैफो सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी नामक एक नए लेखापरीक्षक को सूचीबद्ध किया गया है।
  - (ख) दो लेखापरीक्षक अर्थात् (i) मेसर्स तनुज गर्ग एंड एसोसिएट्स और (ii) मेसर्स एक्वीसरी कंसल्टिंग एलएलपी को उनके सूचीबद्ध होने की अवधि बढ़ा दी गई है और
  - (ग) पाँच लेखापरीक्षक अर्थात् (i) मेसर्स डी. पटवारी एंड कंपनी, (ii) मेसर्स हबीबुल्लाह एंड कंपनी, (iii) मेसर्स ए.आर. भंसाली एंड कंपनी, (iv) मेसर्स एबीपीएस एंड एसोसिएट्स और (v) आशीष महाजन एंड कंपनी को उनके सूचीबद्ध होने की मौजूदा अवधि समाप्त होने के कारण हटा दिया गया है।

  31 अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार डीएएस का लेखापरीक्षा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों की कुल संख्या 47 है।

- भादूविप्रा ने दिनांक 21.08.2024 को सभी वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को एक पत्र जारी कर उन्हें अंतर्संयोजन विनियमन के विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के प्रावधान का अनुपालन करने हेतु अपने सिस्टम का लेखापरीक्षा कराने की सुझाव दी; और लेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट जारी करने सहित लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को दिनांक 31.12.2024 तक निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिए ताकि अंतर्संयोजन विनियमन के विनियमन 15 के उप-विनियमन 1क के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय निरुत्साहन से बचा जा सके।

दूरसंचार सब्सक्रिप्शन

दिनांक 31 जुलाई, 2024 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा :

विवरण	**वायरलेस**	**वायरलाइन**	**कुल**
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	635.46	32.50	667.96
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	534.15	3.06	537.21
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	**1169.61**	**35.56**	**1205.17**
समग्र दूरसंचार-घनत्व(%)	83.32	2.53	85.85
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	54.33	91.39	55.42
ग्रामीण सब्सक्राइबर्स का हिस्सा (%)	45.67	8.61	44.58
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन)	904.21	41.98	946.19

जुलाई 2024 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर 1059.56 मिलियन थे।

जुलाई 2024 में, एमएनपी के लिए 13.68 मिलियन सब्सक्राइबर अनुरोध किए गए। इसके कार्यान्वयन के बाद से जुलाई 2024 के अंत तक, कुल 1011.13 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया।

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (एससीओपी)/उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित किए:

क्र. सं.	स्थान	दिनांक
1.	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद द्वारा नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में	1 अगस्त 2024
2.	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा सतना (मध्य प्रदेश) में	1 अगस्त 2024
3.	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा रोहतास (बिहार) में	8 अगस्त 2024
4.	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु द्वारा पुणे (महाराष्ट्र) में	16 अगस्त 2024
5.	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा पठानकोट (पंजाब) में	22 अगस्त 2024
6.	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा मुर्शिदाबाद (पश्चिम) बंगाल) में	29 अगस्त 2024
7.	भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु द्वारा शिवमोग्गा (कर्नाटक) में	30 अगस्त 2024

फोटो गैलरी

भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद ने दिनांक 1 अगस्त 2024 को नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने दिनांक 1 अगस्त 2024 को सतना (मध्य प्रदेश) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने दिनांक 08 अगस्त 2024 को रोहतास (बिहार) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने दिनांक 16 अगस्त 2024 को पुणे (महाराष्ट्र) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने दिनांक 22 अगस्त 2024 को पठानकोट (पंजाब) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता ने दिनांक 29 अगस्त 2024 को मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

भादूविप्रा, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु ने दिनांक 30 अगस्त 2024 को शिवमोग्गा (कर्नाटक) में एक (उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) का आयोजन किया।

इस न्यूजलेटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

4, 5, 6 और 7वीं मंजिल, टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली--110029

*हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं! हमसे **https://www.facebook.com/TRAI/** से जुड़ें!*

*हम ट्विटर पर भी हैं! हमें 𝕏**TRAI@TRAI** पर फॉलो करें*